बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

पटना–15, दिनांक 20 अप्रैल, 2011

विषय :– बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के अन्त में 'सैंथवार' जाति को क्रमांक–45 पर शामिल करने के संबंध में ।

राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा–3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का गठन किया गया है । बिहार अधिनियम, 12, 1993 की धारा–9(1) के अनुसार आयोग सूची में पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिए किए गए अनुरोध की जाँच करेगा और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन या अल्पसमावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा एवं राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसा वह उचित समझे । उक्त अधिनियम की धारा–9(2) के अनुसार आयोग की राय मानने के लिए सामान्यतः राज्य सरकार बाध्य होगी ।

2. पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना द्वारा बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा–9(1) (क) के तहत 'सैंथवार' जाति के संबंध में निम्नांकित सलाह दी गई है :–

"सैंथवार" जाति को राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची की अनुसूची–2 में स्वतंत्र रूप से अन्तिम प्रविष्टि के रूप में शामिल किया जाए ।"

3. अतः राज्य सरकार ने भली–भाँति विचार करने के उपरांत निर्णय लिया है कि पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में बिहार अधिनियम 3, 1992 "बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के अंत में "सैंथवार" जाति को क्रमांक–45 पर शामिल किया जाय ।"

उक्त समावेशन के फलस्वरूप उपर्युक्त जाति को राज्य सरकार की सेवाओं, जिला पर्षद, नगरपालिका, अर्द्ध–सरकारी सेवाओं, विश्व विद्यालयों एवं लोक उपक्रमों की सेवाओं में पिछड़ा वर्ग की सूची की अनुसूची–2 को मिलने वाले आरक्षण का लाभ देय होगा। इसके अतिरिक्त संबंधित आरक्षित वर्ग को देय अन्य सुविधाएँ अनुमान्य होंगी ।

आदेश :—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद्, पटना/पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/बिहार विधान परिषद्, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाए ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—

(सरयुग प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक—11/आ॰नी॰—III—01/2011सा॰............................../पटना—15, दिनांक अप्रैल, 2011

प्रतिलिपि :— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना—7 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस संकल्प को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए उसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशाखा—11) को उपलब्ध करायी जाए ।

ह0/—

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक—11/आ॰नी॰—III—01/2011सा॰....1144..../पटना—15, दिनांक 20 अप्रैल, 2011

प्रतिलिपि :— महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, बिहार, पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें ।

20/4/11

सरकार के संयुक्त सचिव ।

E:\Dharmendra\Section- 11\Rajeswar Sah\Sanlekh Sainthvar Jati 11-aa-ni-III-01-2011.doc